न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 123/2018 **दिनांकः– 28.04.2021**

अनवान

नारायणसिंह पिता गोविंदसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी करोली, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

––वादी

बनाम

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

––प्रतिवादी

वाद पत्र धारा 88, 209 रा. का. अधि. वास्ते घोषणा

वादी का ऑर्डर 7 नियम 1,2 जाप्ता दीवानी निम्न प्रकार से पेश हैः–

1. यह कि वादी की कब्जें, काश्त की आराजी ग्राम करोली पटवार हल्का आकोलाकलां तहसील भदेसर में स्थित होकर आराजी का विवरण निम्न हैः–

   संवत् 2065 से 2068 की जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 193 आराजी नंबर 35/2 रकबा 7.10 बीघा, लगानी 7.50 रूपये, स्थित थी जिसके हाल आराजी संख्या 47 रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज कर दी एवं शेष रकबे को उक्त आराजी नंबर 48, 49, 50, 51 में डालकर बिलानाम कृषि योग्य दर्ज की गयी जबकि उक्त आराजीयात मेरी भुआ इन्दरकंवर बेवा किशनसिंह राजपूत निवासी करोली के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी और इन्दरकंवर बाल विधवा हो जाने के कारण प्रारम्भ से ही ग्राम करोली में ही निवास करती चली आ रही थी और उनकी सेवा, चाकरी मेरे द्वारा शुरू से ही की जा रही थी खुश होकर इन्दरकंवर द्वारा दिनांक 24/11/2011 को मेरे पक्ष में गोदनामा निष्पादित कर उक्त वर्णित आराजीयात का मालिकाना हक मेरे पक्ष में निष्पादित कर दिया और कब्जा उनकी सेवा, चाकरी करने के कारण सारी [illegible] कारण प्रारंभ से ही कब्जा मेरा चला आ रहा था और लिखित में भी इन्द [illegible] दिया गया था और उक्त वर्णित आराजीयात मेरे कब्जे में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ

2. यह कि वादी अपनढ़ होकर ग्रामीण परिवेश का होने के कारण उक्त आराजीयात को उनपकी मृत्यु के बाद नामान्तरण की कार्यवाही अपने नाम पर नहीं करवा कर पूर्वानुसार ही काबिज होकर उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। इसी दरमियान दिनांक 28/05/2018 को उक्त आराजीयात की नकले प्राप्त की तो जानकारी में आया कि उक्त आराजीयात वर्तमान में भी इन्दरकंवर के खाते में दर्ज होकर सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा साढ़े सात बीघा के रकबे को कम करते हुए मात्र 0.24 हैक्टर ही खाते में दर्ज की तथा शेष आराजीयात को बिलानाम सरकार में दर्ज कर दी गयी।

3. यह कि वर्तमान में नया सेटलमेंट हुआ जिसमें सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना मौका देखे बिना पूर्व के रेकार्ड को देखे बिना कारण के ही उपरोक्त खाते में पुर्वानुसार रकबें को पूरा नहीं करके मात्र 0.24 हैक्टर ही दर्ज कर दी शेष आराजीयात को बिलानाम आराजी संख्या 48, 49, 50, 51 में दर्ज कर दी गयी है जबकि पूर्व में उक्त आराजीयात के पुराने नंबरों में कोई आराजी दर्ज ही नहीं थी जबकि मोके पर वादी पनी संपूर्ण आराजीयात पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। इतने समय तक वादी द्वारा अपने खाते के बारे में जानकारी नहीं की अब वादी को जानकारी होते ही वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा का पेश किया जाकर पुनः जरिये घोषणा राजस्व रिकार्ड में अपनी भुआ इन्दरकंवर के नाम पर दर्ज रेकार्ड आराजीयात मं हुए कम रकबे को पूर्ण करते हुए गोदी पुत्र के आधार पर संपूर्ण आराजीयात को अपने नाम खाते में दर्ज करवाने के लिये उक्त बाबत् घोषणा हेतु वाद पेश किया जा रहा है।

4. यह कि वादी गरीब व्यक्ति होकर कृषि आराजी पर वादी एवं वादी के परिवार का जीवन निर्भर है यदि वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी व अपना गुजारा करना मुश्किल हो जायेगा। जबकि पुर्वानुसार ही वर्तमान में वादी काबिज होकर उपयोग, उपभोग कर रहा है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 28/5/2018 को नकले लेने से पैदा होकर वादी ने अपने स्तर पर दुरूस्त कराने के लिये तहसील कार्यालय में जाने से लगाकर प्रति दिवस पैदा हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सममन तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई। और पत्रावली साक्ष्य में निहित होने पर वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं की एवं नाथू सिंह,नरेन्द्र सिंह,पूरण सिंह की साक्ष्य पेश की गई और प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें जमाबंदी प्रदर्श–1,मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3,जमाबंदी प्रदर्श–4,जमाबंदी प्रदर्श–5, नारायण सिंह द्वारा दिये गये शपथ पत्र स्टाम्प प्रदर्श –7,ग्राम पंचायत आकोला कलां का प्रमाण पत्र प्रदर्श–8, गोदनामा प्रदर्श–ए जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श ए–1 और मृत्यु प्रमाण पत्र इंद्र कुवर पेश किया ओर उसके पश्चात साक्ष्य वादी ने ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य बंद की गई और पत्रावली में लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि मौजा करोली प0ह0 आकोला कलां की खाता संख्या 193 आराजी नंबर 35/2 रकबा 7.10 बीघा, लगानी 7.50 रूपये, स्थित थी जिसके हाल आराजी संख्या 47 रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज कर दी एवं शेष रकबे को उक्त आराजी नंबर 48, 49, 50, 51 में डालकर बिलानाम कृषि योग्य दर्ज की गयी जबकि उक्त आराजीयात वादी की भुआ इन्दरकंवर बेवा किशनसिंह राजपूत निवासी करोली के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी और इन्दरकंवर बाल विधवा हो जाने के कारण प्रारम्भ से ही ग्राम करोली में ही निवास करती चली आ रही थी और उनकी सेवा, चाकरी वादी द्वारा शुरू से ही की जा रही थी खुश होकर इन्दरकंवर द्वारा दिनांक 24/11/2011 को वादी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित कर उक्त वर्णित आराजीयात का मालिकाना हक वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया और कब्जा उनकी सेवा, चाकरी करने के कारण सारी देख भाल वादी के ही जिम्मे होने के कारण प्रारंभ से ही कब्जा वादी का चला आ रहा था और लिखित में भी इन्दरकंवर द्वारा दे दिया गया था और उक्त वर्णित आराजीयात वादी के कब्जे में ही चली आ रही है अतः पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन करने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । ग्राम करौली प0ह0 आकोला कलां की साबिक आराजी नं0 35/2 रकबा 7.10 बीघा जो इंद्र कुंवर के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसके हाल आराजी सं0 47 रकबा [illegible] र शेष रकबा आराजी नं0 48,49,50,51 में डाल दी गई है जिसमें कम हुए रकबे की पूर्ति हेतु पूर्व में इंद्र कुंवर बेवा किशनसिंह राजपूत निवासी करौली के नाम पर दर्ज 7.10 बीघा आराजीयात का रकबा पूरा करते हुए इंद्र कुंवर के बजाय सम्पूर्ण 7.10 बीघा आराजीयात नारायण सिंह पिता गोविंद सिंह राजपूत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

निवासी करौली के नाम पर दर्ज कर नक्शे में भी तरमीम की जाने हेतु वाद स्वीकार किया जाकर इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली की गणना निर्णित इंद्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested